

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 5, 2023

**संख्या प.2(29)विधि/2/2023.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023**

**(2023 का अधिनियम संख्यांक 25)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय-1**

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की धारा 25 के अधीन यथागठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) “सं बद्ध महाविद्यालय” से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(ग) “बोर्ड” से धारा 23 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) “घटक महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) “संकाय” से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(च) “विहित” से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;



- (छ) “प्राचार्य” से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ज) “निवासी” से चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर या अतिविशेषज्ञीय पाठ्यक्रमों का छात्र अभिप्रेत है;
- (झ) “परिनियम” “आर्डिनेन्स” और “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ञ) “विश्वविद्यालय का छात्र” से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ट) “अध्यापक” से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (ठ) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ड) “विश्वविद्यालय विभाग” से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई विभाग अभिप्रेत है।

### अध्याय -2

#### विश्वविद्यालय

**3. विश्वविद्यालय का निगमन.-** (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, “मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय” के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अंतरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

**4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.-** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) नवीन उन्नति और ज्ञान का प्रसार करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना;



- (ख) स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति, जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य वित्तपोषण, जैव सांख्यिकी, स्वास्थ्य आपदा और महामारी प्रबंधन तथा शमन के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- (ग) व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी व्याधियों की रोकथाम, प्रचार और प्रबंधन में सहायता करना;
- (घ) मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों, रेफरल स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना, स्थापित करना, विकसित करना और पोषित करना तथा विद्यमान संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत करना;
- (ङ) स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में रोगियों का उपचार, प्रबंध, पुनर्वास करना और रोकथाम, नियंत्रण, उपचार, प्रबंधन और रोगियों के पुनर्वास के लिए मानक प्रोटोकाल विकसित करना;
- (च) नर्सिंग, पराचिकित्सा, फिजियोथैरेपी, फार्मसी और अन्य सहबद्ध स्वास्थ्य विषयों में संस्थाओं का विकास प्रोत्साहित और स्थापित करना;
- (छ) अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, नैदानिक केन्द्रों और पुनर्वास एवं व्यावसायिक थैरेपी केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं स्थापित, विकसित और प्रबंधित करना;
- (ज) एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन और सूचना प्रणाली, (आईएचएमएस) टेलीमेडीकल तथा ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा और अध्यापन संस्थाओं के प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए ई-स्वास्थ्य स्थापित और प्रोत्साहित करना;
- (झ) रोबोटिक्स, आधुनिक प्रगतिशील तकनीकों के निवारण, नियंत्रण, उपचार और रोगियों के पुनर्वास में प्रयोग को स्थापित और प्रोत्साहित करना;
- (ञ) जैव-चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महामारी विज्ञान और जन स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना;
- (ट) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य एवं पोषण के लिए केन्द्र और संस्थाएं स्थापित और विकसित करना;
- (ठ) आनुवांशिक अनुसंधान, आणविक जीव विज्ञान, नाभिकीय औषधि, ट्रांसफ्यूजन औषधि, रक्त विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान, अंग प्रत्यारोपण, रॉबोटिक सर्जरी, जैव-सूचना और आयुर्विज्ञान तथा दंत चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों के लिए संस्थाएं स्थापित और विकसित करना;
- (ड) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और चिकित्सा-सामाजिक विज्ञानों के लिए केन्द्रों को स्थापित और प्रोत्साहित करना; और
- (ढ) समस्त स्वास्थ्य और सहबद्ध स्वास्थ्य विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-



- (क) आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा की ऐसी शाखाओं में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थित करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे और साक्ष्य और अनुसंधान आधारित अद्यतन, अनुसंधान संचालित करने, और ऐसे ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (ख) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र, अध्येतावृत्तियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ग) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना, रजिस्टर करना और नामांकित करना और परीक्षाएं या परीक्षण संचालित करना और उनके संबंध में शर्तें और प्रोटोकाल अधिकथित करना;
- (घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां मंजूर और प्रदान करना जिन्होंने-
  - (i) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है; या
  - (ii) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुसंधान किया है;
- (ङ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
- (च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, को ऐसे डिप्लोमे प्रदान करना और उनके लिए ऐसे व्याख्यान और शिक्षण का उपबंध करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से एक ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार या सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (ज) परिनियमों और आर्डिनेन्सों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां (जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), अध्ययन वृत्तियां, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (झ) किसी उपाधि या डिप्लोमे के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी किसी भी उपाधि या डिप्लोमे को अपनी स्वयं की उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, या अन्य सुविधाओं की स्थापना करना, उनका संधारण, विकास और प्रशासन करना;
- (ट) छात्रों और शिक्षकों के छात्रावासों तथा निवास स्थानों की स्थापना, संधारण, विकास और प्रशासन करना;



- (ठ) आर्डि नेन्सों के अनुसार फीस और अन्य प्रभार नियत और संगृहीत करना;
- (ड) निवासियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय, के छात्रों के अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबंध करना;
- (ढ) विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य प्रशासनिक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ण) प्रकाशन कार्य, अनुसंधान और मेरिट का जिम्मा लेना;
- (त) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्ध, उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए उपबंध करना;
- (थ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र कोर्स, अध्येतावृत्ति और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रोटोकाल, परीक्षा का पैटर्न, जनशक्ति, उपस्करों और अवसंरचना के रूप में अपेक्षित संसाधनों को मान्यता देना और विनिश्चित करना;
- (द) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र कोर्स, अध्येतावृत्ति और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन प्रदान करने के लिए संस्थाओं से फीस प्रभारित करना और संबद्ध करने का उपबंध करना; और
- (ध) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के क्रम में अपेक्षित हों।

**6. अधिकारिता.-** (1) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रसार, राजस्थान राज्य के भीतर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मसी और नर्सिंग महाविद्यालयों के, इन विषयों में और स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य विषयों में शिक्षा देने वाले और उसके घटक, संबद्ध, या स्वायत्त महाविद्यालयों और ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों पर भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

- (क) विश्वविद्यालय को प्रादेशिक सीमाओं के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालय जन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या
- (ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय को सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक

महाविद्यालय होना प्रमाणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकृत की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

**7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होगा.-** विश्वविद्यालय जाति, वर्ग, पंथ या लिंग पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा:

परन्तु विश्वविद्यालय,-

- (क) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को निर्बन्धित कर सकेगा,
- (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, छात्राओं और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा।

**8. निरीक्षण.-** (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

- (क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है, या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति,

विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और उसके व्ययों के लिए ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो आवश्यक हो।”।

### अध्याय-3

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

**9. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रतिकुलपति;
- (घ) कुल-सचिव;
- (ङ) वित्त अधिकारी;
- (च) परीक्षा नियंत्रक;
- (छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (ज) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (झ) सम्पदा अधिकार; और
- (ञ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

**10. कुलाधिपति.-** (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, उसके दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कोई भी सम्मानिक उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाएं या अभिलेख प्रस्तुत करें जिनकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा प्रदत्त की जायें।

**11. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान और/या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और



सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला/वाली कोई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद न हो।



(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ख) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्च चिकित्सा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्च चिकित्सा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, पांच वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करायेगा।



(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा/सकेगी।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जायेगी।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसी कि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

**12. कुलपति का हटाया जाना.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबनाधीन रख सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-



(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

**13. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिवस के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जायें।

**14. प्रतिकुलपति.-** (1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसादानुसार पद धारित करेगा।

(4) प्रतिकुलपति एक हजार रुपये प्रति मास का मानदेय प्राप्त करेगा।

(5) प्रतिकुलपति, कुलपति का ऐसे मामलों में सहयोग करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें।



**15. कुलसचिव.-** (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा। वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जायें।

(4) कुल-सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें या जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

**16. वित्त अधिकारी.-** (1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा। वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) वित्त अधिकारी-

(क) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों और विनिधानों का प्रबंध करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;

(ङ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबंधनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और

(च) धारा 36 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**17. परीक्षा नियंत्रक.-** (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आर्डिनेन्सों में इस निमित्त किये गये उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।



(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिए आबद्ध होगा जो उसका कामकाज करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, किन्तु वह इस उप-धारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों पर भी उसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में उसे कुल-सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य समस्त इंतजाम करेगा और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश के सिवाय न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो पद के समस्त कर्तव्य परीक्षा नियंत्रक के पुनः पद ग्रहण करने या यथास्थिति, रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

**18. संकाय के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.-** (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

**19. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.-** (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) सम्पदा अधिकारी, और

(ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;

(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;

(घ) छात्रों के पाठ्येत्तर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना;

(ङ) विश्वविद्यालयों के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

20. **अन्य अधिकारी और कर्मचारी.-** धारा 9 के खण्ड (ज) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेंसों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. **अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.-** विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए परिनियमों में जैसा उपबंधित किया जाये उसके सिवाय कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

#### अध्याय-4

##### विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.-** विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (क) प्रबंध बोर्ड;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति;
- (ङ) संकाय;
- (च) अध्ययन बोर्ड;
- (छ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

23. **प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना. -** (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(I) **अध्यक्ष -** विश्वविद्यालय का कुलपति

(II) **पदेन सदस्य-**

- (क) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग,;
- (ख) प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,;
- (ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार;
- (घ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव;

**स्पष्टीकरण-I.-** (क) से (ख) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

**स्पष्टीकरण-II.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(III) **नामनिर्देशित सदस्य-**

- (क) कुलपति द्वारा संकायों के संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
- (ख) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य; और
- (च) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद।

#### (IV) निर्वाचित सदस्य-

विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं, उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

- (2) बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों से बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
- (3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।
- (5) बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

#### 24. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित और मंजूर करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियां अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;



- (ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रशासन करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों की ऐसी रीति से नियुक्ति करना जो विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उसके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियम, आर्डिनेंस और विनियम बनाना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों का इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमन और अवधारण करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

**25. विद्या परिषद्:-** (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (क) कुलपति-पदेन अध्यक्ष
- (ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (ग) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
- (घ) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य या निदेशक;
- (ङ) प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान
- (च) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार;
- (छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (ज) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;



(झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

(ञ) घटक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;

(ट) संबद्ध महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(ठ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

**स्पष्टीकरण:-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

**26. वित्त समिति.-** (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) कुलपति;

(ख) प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग;

(ग) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल-सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “प्रभारी शासन सचिव” से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे अधिकारी को नामनिर्देशित कर सकेगा जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर बोर्ड को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी और किन्हीं भी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रकार नियत सीमाओं का पुनरीक्षण कर सकेगी और नियत सीमाएं बोर्ड पर बाध्यकारी होंगी।



(4) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जाये।

**27. परीक्षा समिति.-** (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन ऐसा होगा जो आर्डिनेंसों में उपबंधित किया जाये।

(2) समिति, अनुसीमन और सारणीकरण को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का साधारणतया पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्य करेगी, अर्थात्:-

- (क) परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और, यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
- (ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उस पर विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ग) परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;
- (घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति इतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने और उनका विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, परीक्षा समिति के लिए या, यथास्थिति, उप-समिति या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उप-धारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

**28. संकायों की संरचना और कृत्य.-** (1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष;
- (ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;
- (ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (घ) संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष; और

(ङ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।



**29. विश्वविद्यालय का अध्यापन.-** (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेंसों द्वारा और तद्वीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

**30. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.-** (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

**31. विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.-** विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही,

उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।



**32. सेवानिवृत्ति की आयु.-** परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

**33. पेंशन या भविष्य निधि.-** (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

**34. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.-** (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। संविदा, सेवा की शर्तों के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

**35. विश्वविद्यालय निधि.-** (1) विश्वविद्यालय “विश्वविद्यालय निधि” के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

- (क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;
- (ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो; और
- (घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें विश्वविद्यालय निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्ययों की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि में से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों को प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

**36. राज्य सरकार का नियंत्रण.-** जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो सकगी, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर संपत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरण;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना;
- (छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

**स्पष्टीकरण.-** पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

**37. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.-** यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो यह अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

**38. परिनियम.-** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;



- (ड) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और समाप्ति;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा या परिनियमों द्वारा विहित किये जा सकेंगे।

**39. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.-** (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि यह आवश्यक समझे तो किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

**40. आर्डिनेन्स.-** इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-



- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या निवास के अन्य स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए, प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और
- (ङ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य मामला जिस पर विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन कार्यवाही की जानी है।

**41. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.-** (1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप में संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह प्रबंध बोर्ड को टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

**42. विनियम.-** (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा :-

- (क) अपनी बैठकों में अनुमानित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;
- (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- (ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।





(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

**43. छात्रों का निवास स्थान.-** छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास सुविधा में विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निवास करेंगे।

**44. शक्तियों का प्रत्यायोजन.-** बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, प्रयोग में लाये जाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**45. वार्षिक रिपोर्ट.-** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

**46. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(3) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

**47. अस्थायी व्यवस्था.-** (1) इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारों को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

**48. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.-** जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित

पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।



**49. अवशिष्ट उपबंध.-** बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा।

**50. कठिनाइयों का निराकरण.-** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा,-

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या
- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे: परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई आदेश नहीं किये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति, और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।